

फर्द अहकाम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला रावाई माधोपुर

प्रेम वगै०

बनाम

श्री फूल वगै०

मुकदमा नं० 498/2022

किस्म दावा

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही गय इन्शियल जज

06.06.2022 यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 198 राजस्थान टिनेरी एक्ट
वादीगण प्रेम वगै० निवासी छकड़ा की ओर से श्री गोपाल लाल शर्मा
एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। प्रस्तुत दरतावेज का अवलोकन
किया गया, दावा दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगण की
तलवी जरिये नाटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 16.06.2022 को
पेश हो।

११ ✓

16.6.22

पत्रावली पेश हुई। वादीगण स्वंप डपवा
वादीगण ने एड अर्लीना पत्र राम काशप
का पेश किया है कि इस डपवा में हम
पञ्चानन के मध्य पॉन्च कादरिया की
समझौता से राजीनामा हो गया है तथा
हम वादीगण अपने इस दावे में एकमात्र
इस वादीगण नहीं चाहते हैं। दावा हम
स्टेज पर सिद्ध करना चाहते हैं। दावा
सिद्ध की अर्थमति देकर दावा खारिज
करना दिया जावे।

कि. ५३
मि. १०
२५/६/२२

वादीगण के अर्लीना पत्र पाना सिंह
व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रमाण
में काफी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये हैं।
अतः अर्लीना पत्र वादीगण स्वीकार किया
जाकर दावा वादीगण सिद्ध के आधार पर
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेशल शुभम्
डॉक्टर नरेश के क्रम है कांड तलवील दाखिल
दस्तावेज है।

५५
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (रा. म.)